

राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : सामान्य/राजपत्रित/09/ 30

दिनांक : 03/8/21

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन- जयपुर/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/
जोधपुर/कोटा/भरतपुर (राज0)

विषय :- लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूचना भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक सामान्य/राजपत्रित
/09/216 दिनांक 02.06.09 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आपके जोन से सम्बन्धित चिकित्सकों के लम्बित पेंशन प्रकरणों की सूची इस कार्यालय को निम्न प्रफोर्मा में प्रेषित करें :-

क्रं. सं.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	चिकित्सक का नाम	सेवानिवृत्ति तिथि	जी.पी.ओ./ पी.पी.ओ. नम्बर	विशेष विवरण

यदि लम्बित पेंशन प्रकरण हो तो उसका विस्तृत विवरण अंकित करें, जिसकी वजह से पेंशन प्रकरण लम्बित हैं एवं पेंशन प्रकरण लम्बित होने के कारण प्रोवीजनल पेंशन दी जा रही हैं अथवा नहीं का भी उल्लेख करें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 03/8/21

क्रमांक : सामान्य/राजपत्रित/09/ 30

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को लेख हैं कि उक्त पत्र को इन्टरनेट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
2. संबंधित डिर्लींग क्लर्क, संस्थापन राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
A to G
H to M
N to R
S to Z
Hq Jaipur
3. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।